राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग
कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी, राजस्थान, जयपुर

क्र. प. 14 (1)/ एम.ई. ग्रुप–1/2020 जयपुर, दिनांक 1 DEC 2020

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में जस्टिस श्री एस.एन. भार्गव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एम.बी.बी.एस. पाठ्यकम शैक्षणिक संत्र वर्ष 2020–21 व 2021–22 में अध्ययन हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

कॉलेज का नाम	शुल्क (रुपयों में)/प्रति वर्ष /प्रति छात्र
अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड रिसर्च सेंटर, राजसमंद	राशि रू. 15,00,000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख) अधिकतम
अमेरिकन इंटर्नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड रिसर्च सेंटर, , उदयपुर	राशि रू. 15,00,000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख) अधिकतम

1. उक्त कालेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी अन्य तरह का शुल्क यथा विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, डोनेशन आदि नकद या अन्य किसी भी स्वरूप में छात्रों से वसूल नहीं करेंगे।
2. कॉलेज उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अथवा राशि वसूल करते है, तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूर्ण होने पर वापस की जाएगी।
4. छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
5. मैस के वास्तविक मासिक व्यय को मैस का उपयोग करने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से विभाजित कर मैस राशि वसूल की जावेगी।
6. छात्रावास के बिजली व पानी आपूर्ति के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से विभाजित की जावेगी।

(वैभव गालरिया)
सदस्य सचिव, शुल्क निर्धारण कमेटी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. माननीय जस्टिस, एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क रेगुलेटरी कमेटी, 20/46, रेणु पथ, अम्बेडकर नगर, मानसरोवर, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सदस्यगण शुल्क रेगुलेटरी कमेटी।
7. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

1/12/2020
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा